GSTIN: 09AAACU8823E1Z9



उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसिमशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Transmission Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

कारपोरेट टैक्स (जी०एस०टी० सैल) Corporate Tax (GST CELL)

CIN: U40101UP2004SGC028687

द्वितीय तल, शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001, रैक्स- 8270, 8257

IInd Floor, Shakti Bhawan Ext., 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, E-mail - dgmtaxuppcl@gmail.com

पत्र सं0: 02 / उ०म०प्र०(टैक्स) / जी०एस०टी० सैल / 2017—18

दिनांकः 25.07.2017

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उ० प्र० पावर ट्रान्सिमशन कारपोरेशन लि०

मुख्य अभियन्ता (डी०एण्डपी०) / 765के०वी० / सी० एण्ड सी० / सी०एम०यू०टी० / जानपद (i) / (ii) पारेषण मध्य / पूर्व / पश्चिम / दक्षिण उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० लखनऊ / इलाहाबाद / मेरठ / आगरा

विषय:- जी०एस०टी० से सम्बन्धित दिशा-निर्देश

जी०एस०टी० के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशानिर्देश अनुपालन हेतु जारी किये जाते है :--

1. GST Return

जैसा कि 10.07.2017 को निर्गत किये गये दिशा—निर्देशों में उल्लिखित है, निगम को प्रतिमाह 3 रिटर्न दाखिल करने है :--

फार्म सं0	विवरण अन्तिम तिथि
GSTR-1	बिक्री एवं दी जाने वाली सेवाओं का विवरण अगले माह की 10 तारीख तक
	(Particulars of Outward Supply)
GSTR-2	क्रय एवं ली जाने वाली सेवाओं का विवरण अगले माह की 15 तारीख तक
	(Particulars of Inward Supply)
GSTR-3	मासिक रिटर्न (Monthly Return) अगले माह की 20 तारीख तक

वर्तमान में सरकार ने नई टैक्स प्रणाली की जटिलताओं के मद्देनजर एवं व्यापारियों की सहूलियत को ध्यान रखते हुए दो महीने (जुलाई एवं अगस्त 2017) के लिए उक्त रिटर्न बाद में भरने की सुविधा प्रदान की है एवं उक्त 3 रिटर्न के स्थान पर एक अस्थायी रिटर्न भरना होगा। इस रिटर्न में निगम की महीने भर की क्रय–विक्रय आदि का विवरण संक्षेप में Form GSTR-3B में अगले माह की 20 तारीख तक जमा कराना है।

अतः खण्डों / इकाईयों को निर्देशित किया जाता है कि Form GSTR-3B भरने हेतु निर्धारित सूचनाए जो कि Annexure-A में संलग्न है, सम्बन्धित परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय को प्रेषित करेंगे। परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय अपनी सभी इकाईयों द्वारा भेजी गई सूचनाओं को संकलित कर, मुख्यालय स्थित जी०एस०टी० सैल में अगले माह की 15 तारीख तक प्रेषित करेंगे।

ध्यान रहे Form GSTR-3B की व्यवस्था अस्थायी व्यवस्था है जिसमें केवल जुलाई 2017 एवं अगस्त 2017 के माह में की गयी क्रय—विक्रय का संक्षेप में ब्यौरा देना है। जुलाई 2017 एवं अगस्त 2017 माह के सम्पूर्ण रिटर्न (Form GSTR-1, Form GSTR-2, Form GSTR-3) September माह में भरे जायेंगे। जिसकी अन्तिम तिथि नीचे दी गयी तालिका में है।

GST Return	Jı	aly	Last Date to	Last Date to
	Last date of	Last date of	submit	submit
	Filing	Filing	information by	information by
		_	units to ZAO	ZAO to GST
	Earlier	Now		Cell
GSTR-1	10 th August	5 th September	20 th August	30 th August
GSTR-2	15 th August	10 th September		
GSTR-3	20 th August	15 th September	_	
GSTR-3B	NA	20 th August	10 th August	16 th August
GST Return	Au	gust		
	Earlier	Now		
GSTR-1	10 th September	20 th September	5 th September	10 th September
GSTR-2	15 th September	25 th September		,-
GSTR-3	20 th September	30 th September		
GSTR-3B	NA	20 th September	10 th September	15 th September
GST Return	Sept	ember		
	Earlier	Now		
GSTR-1	10 th October	10 th October	3 rd October	5 th October
GSTR-2	15 th October	15 th October		on the second se
GSTR-3	20 th October	20 th October		
GSTR-3B	NA	NA	NA	NA

नियमित मासिक रिटर्न (Form GSTR-1. Form GSTR-2, Form GSTR-3) भरने के लिये इकाईयों द्वारा विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रारूप वेबसाइट पर Excel Format में जल्द ही उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

2. Invoice/Debit Note/Credit Note:-

जी०एस०टी० सैल द्वारा निर्गत किये गये दिशा—निर्देशों (दिनांक 10.07.2017) में Invoice एवं Bill of Supply से सम्बन्धित दिशा—निर्देशों के अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं का भी अनुपालन करना है —

- a) Invoice जारी करने की समय-सीमा :-
 - वस्तुओं के विक्रय पर :- माल के हटाने पर या उससे पहले (Before or at the time of removal of goods)
 - सेवाओं के प्रदान पर :- सेवा समाप्ति के 30 दिन के अन्दर

- b) वस्तुओं के विक्रय पर Invoice तीन प्रतिलिपि में जारी करना है :-
 - Original प्रतिलिपि क्रेता के लिए
 - Duplicate प्रतिलिपि माल वाहक (ट्रान्सपोर्टर) के लिए
 - Triplicate प्रतिलिपि स्वयं के लिए (Office Copy)
- c) सेवाओं के विक्रय पर Invoice दो प्रतिलिपि में जारी करना है :-
 - Original प्रतिलिपि क्रेता के लिए
 - Duplicate प्रतिलिपि स्वयं के लिए (Office Copy)
- d) CGST Act के Section 33 के अनुसार Tax Invoice जारी करते समय Tax की राशि को पृथक करके दर्शाना आवश्यक है। अर्थात कोइ भी Invoice Inclusive of Tax नहीं बनाना है।
- e) ज्ञात हो कि एक बार Tax Invoice जारी होने के पश्चात् उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए विक्रेता/सेवा प्रदाता को Credit Note अथवा Debit Note जारी करना होगा।

f) Credit Note :-

- ऐसी परिस्थितियां जहां वस्तु एवं सेवा की राशि अथवा Tax की राशि में कटौती होनी है, उन परिस्थितियों में विक्रेता/सेवा प्रदाता द्वारा क्रेडिट नोट क्रेता/सेवा प्राप्तकर्ता को जारी किया जायेगा।
- उदाहरण के तौर पर विक्रेता द्वारा कम अथवा गलत माल भेजना, क्रेता द्वारा माल का वापस कर देना इत्यादि।
- क्रेडिट नोट जारी करने की समय-सीमा-
 - जिस वित्तीय वर्ष में Supply की गयी हो उसके अगले वित्तीय वर्ष की 30 सितम्बर
 या
 - > वार्षिक रिटर्न भरने की तिथि
 - में से जो पहले हो, तब तक क्रेडिट नोट जारी किया जा सकता है।
- क्रेडिट नोट जिस माह में जारी किया गया है, उस माह के मासिक रिटर्न में क्रेडिट नोट का ब्योरा देना है।

g) Debit Note :-

- ऐसी परिस्थितियां जहां वस्तु एवं सेवा की राशि अथवा Tax की राशि में बढ़ोत्तरी होनी है, उन परिस्थितियों में विक्रेता/सेवा प्रदाता द्वारा डेबिट नोट क्रेता/सेवा प्राप्तकर्ता को जारी किया जायेगा।
- डेबिट नोट जारी करने की कोई समय—सीमा नहीं है।
- डेबिट नोट जिस माह में जारी किया गया है, उस माह के मासिक रिटर्न में डेबिट नोट का ब्योरा देना है।

- अगर विक्रेता द्वारा क्रेता से देरी से भुगतान करने के कारण किसी प्रकार की Interest,
 Penalty अथवा Late Fees ली जाती है तो उस Interest, Penalty एवं Late Fees को कर—योग्य राशि में जोड़ा जायेगा एवं उस पर जी०एस०टी० लागू एवं देय होगा। ऐसी दशा में विक्रेता द्वारा क्रेता को डेबिट नोट जारी किया जायेगा।
- क्रेडिट नोट एवं डेबिट नोट के प्रारूप Annexure B.1 & B.2 में संलग्न है।

3. Time of Supply:-

CGST Act के Section 12 & 13 में Time of Supply के नियम दिये गये है, जिससे ये निर्धारित किया जा सकता है कि किसी Supply के सन्दर्भ में Tax किस माह मे जमा करना है एवं किस माह के रिटर्न में उस Supply को दर्शाना है। Time of Supply के नियम संक्षेप मे इस प्रकार है:—

Nature of	Event A	Event B	Event C	Time of
Transaction				Supply
Supply of Goods	Issue of tax	Receipt of		Whichever is
	invoice	payment		earlier
		(even		
		advance		
		payment		
		received)		
Tax on receipt of	Receipt of	Date of	30 days from	Whichever is
goods payable on	goods	payment to	date of invoice	earlier
reverse charge basis		recipient	of supplier	
		(even		
		advance		
i I		payment	38	
		made)		
Supply of service	Invoice if	Provision of	Date of receipt	Whichever is
	issued within	service if	of payment	earlier
	prescribed	Invoice not	from recipient	
	time (30 days)	issued within	(even advance	
		prescribed	payment	
		time	received)	
Tax on receipt of	Date of	60 days from		Whichever is
service payable	payment to	date of invoice		earlier
under reverse	supplier of	of supplier		
charge	service			
Receipt of Interest.	Issue of	Receipt of		Receipt of
late fee or penalty	demand or	payment from		payment from
for late payment	debit note to	recipient of		recipient of
[common provision	recipient of	goods or		goods or
for goods and	goods or	services		services
services]	services			501,1003
				

4. Receipt Voucher & Refund Voucher :-

जैसा कि उक्त ''Time of Supply'' नियमों में वर्णित है कि किसी वस्तु एवं सेवा की बिक्री के सन्दर्भ में ली जाने वाली अग्रिम राशि भी जी०एस०टी० के दायरे में आती है। अगर विक्रेता द्वारा कर—योग्य अथवा सेवा के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अग्रिम लिया जाता है, उस परिस्थिति में विक्रेता को "Receipt Voucher" जारी करना होगा।

अग्रिम लेने के पश्चात् अगर विक्रेता द्वारा कर—योग्य माल एवं सेवा Supply नहीं की जाती है एवं Tax Invoice जारी नहीं किया जाता उस दशा में विक्रेता को "Refund Voucher" क्रेता को जारी करना होगा।

इकाईयाँ / खण्ड सुनिश्चित करेंगे कि जारी किया जाने वाला Receipt Voucher & Refund Voucher क्रमवार क्रमांकित हो। Receipt Voucher & Refund Voucher का प्रारूप Annexure C.1 एवं C.2 में संलग्न है।

5. Reverse Charge Mechanism (RCM):-

RCM से सम्बन्धित दिनांक 10.07.2017 को निर्गत किये गये दिशा—निर्देश के अतिरिक्त निम्नलिखित दिशा—निर्देशों का भी अनुपालन करना है :-

सरकार एवं Local Authorities को भुगतान :—
 जी०एस०टी० के Notification No. 13/2017-CT(Rate) दिनांक 28.01.2017 के अनुसार
 सरकार एवं Local Authorities द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं पर RCM के तहत कर
 जमा करने एवं रिटर्न दाखिल करने का दायित्व सेवा प्राप्तकर्ता पर होगा।

ज्ञात हो कि RCM केवल सेवा के भुगतान पर लागू है। अर्थात सरकार एवं Local Authorities को किसी भी प्रकार का भुगतान Tax, Cess & Levy के रूप मे दिया जाता है, तो जी०एस०टी० लागू नहीं होगा।

- RCM में किये भुगतानों के लिये दो प्रकार के Documents बनेंगे :--
 - (1) Purchase Voucher (2) Payment Voucher Purchase Voucher एवं Payment Voucher के प्रारूप Annexure D.1 एवं D.2 में संलग्न है।

6. Input Tax Credit (ITC) :-

CGST Act 2017 की धारा 16 के अनुसार किसी भी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा की गई कर—योग्य खरीदारियों / सेवाओं (Taxable Input Supply) पर भुगतान किया गया जी०एस०टी० इन्पुट टैक्स क्रेडिट के रूप में उपलब्ध होगा। Reverse Charge Mechanism के अन्तर्गत भुगतान किया गया जी०एस०टी० एवं वस्तुओं / सेवाओं के आयात (Import of Goods and Services) पर भुगतान किया गया आई०जी०एस०टी० भी इन्पुट टैक्स क्रेडिट के रूप में उपलब्ध होगा।

इस इन्पुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को कर—योग्य वाह्य आपूर्ति (Taxable Outward Supply) पर कर—देयता के विरूद्ध सैट—ऑफ किया जा सकेगा।

उपलब्ध इन्पुट टैक्स क्रेडिट निम्नलिखित 04 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा:-

a) Credit directly attributable towards exempt supplies :-

चूंकि निगम का मुख्य कार्य (बिजली--पारेषण एवं वितरण) जी०एस०टी० से कर-मुक्त है इसीलिए वे खरीदारियां / सेवाएं जो विशेषकर बिजली पारेषण एवं वितरण से सम्बन्धित है, उन खरीदारियों / सेवाओं पर भुगतान किया गया जी०एस०टी० आई०टी०सी० के रूप में उपलब्ध नहीं होगा।

b) Credit directly attributable towards taxable supplies :-

निगम द्वारा की गयी खरीदारियाँ/सेवाएं जो कि विशेषकर कर—योग्य वाह्य आपूर्ति (Taxable Outward Supply) से सम्बन्धित है, उन खरीदारियों/सेवाओं पर भुगतान किया गया जी०एस०टी० आई०टी०सी० (ITC) के रूप में उपलब्ध होगा एवं कर—योग्य वाह्य आपूर्ति पर देय जी०एस०टी० के विरूद्ध समायोजित किया जा सकता है।

c) Common Credit :-

ऐसी खरीदारियाँ / सेवाएं जो कि कर—योग्य एवं कर—मुक्त वाह्य आपूर्ति दोनों के लिए सामान्य है, (जैसे—स्टेशनरी, ऑडिटर फीस, टेलीफोन व्यय इत्यादि) उन खरीदारियों / सेवाओं पर भुगतान किया गया जी०एस०टी० कॉमन क्रेडिट की श्रेणी में आता है एवं इसका आई०टी०सी० कर—योग्य कुल बिक्री के अनुपात में उपलब्ध होगा।

d) Ineligible ITC :-

4

CGST Act 2017 की धारा 17 के अनुसार निम्नलिखित वस्तुओं / सेवाओं की खरीदारियों पर भुगतान किया गया जी०एस०टी० आई०टी०सी० के रूप किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं होगा—

- मोटर गाड़ी एवं अन्य वाहनों के क्रय पर
- खाद्य एवं पेय, वाह्य केटरिंग (खानपान), स्वास्थय सेवाओं पर
- किराए पर कैंब (टैक्सी) सेवा पर
- कर्मचारियों के लिए जीवन और स्वारथय बीमा पर
- अवकाश पर गए कर्मचारियों के यात्रा लाभ पर, जैसे अवकाश या घरेलू यात्रा रियायत पर (LTC)
- किसी अचल सम्पत्ति (Plant & Machinery को छोड़कर) के निर्माण के लिए की गयी खरीदारियों / सेवाओं / वर्क कान्ट्रेक्ट सेवाओं पर

इकाईयाँ / खण्ड उपरोक्त सभी नियमों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे एवं GSTR-2 के लिए Excel प्रारूप भरते समय सूचित करेंगे कि प्रत्येक खरीदारी / सेवाएं उपरोक्त में से किस श्रेणी में आती है।

7. विविध बिन्दु :--

- CBDT द्वारा जारी किये गये Circular No. 23/2017 दिनांक 19.07.2017 के अनुसार आयकर के प्रावधानों के अनुसार टी०डी०एस० की कटौती की जायेगी परन्तु उसमें जी०एस०टी० की धनराशि जोड़ कर कटौती नहीं की जायेगी। (उक्त Circular की छायाप्रति Annexure E संलग्न है)
- मिश्रित एवं समग्र आपूर्ति (Mixed & Composite Supply) : मिश्रित एवं समग्र आपूर्ति पर विस्तृत जानकारी उदाहरण सिहत Annexure F में संलग्न है।
- इकाईयाँ / खण्ड एवं कार्यालयों के लिए यह उचित होगा कि निगम का जी०एस०टी० रिजस्ट्रेशन नं0 09AAACU8823E1Z9 निगम के Letter Head पर उल्लिखित किया जायें।

संलग्नक:-यथोपरोक्त

(प्रभात कुमार गुप्ता) उप महाप्रबन्धक (कारपोरेट टैक्स)

पत्र संवः 02/उ०म०प्र०(टैक्स)/जी०एस०टी० सैल/२०१७—१८ तद्दिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1— मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ० प्र० पावर ट्रान्सिमशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
- 2— उप महाप्रबन्धक (लेखा), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पारेषण मध्य/पूर्व/पश्चिम/दक्षिण, लखनऊ/ इलाहाबाद/मेरठ/आगरा।
- 3— उप महाप्रबन्धक (लेखा) / उप महाप्रबन्धक (निधि), उ० प्र० पावर ट्रान्सिमशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
- 4— अधिशाषी अभियन्ता, सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रान्सिमशन कारपोरेशन लि०, 11वां तल शक्ति भवन विस्तार, को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक:-यथोपरोक्त

मा**ल कु**शास गुप्त उप महाप्रबन्धक

(कारपोरेट टैक्स)

Form GSTR-3B

Name of Unit/ZAO	Month	
Location Code	Year	

1. Details of outward supplies and Inward Supplies liable to Reverse Charge

Nature of Supplies	Total Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	StateTax	Cess
(a) Outward taxable supplies (other than zero rated, nil rated and exempted)	-	 			
(b) Outward taxable supplies (Export, Sale to SEZ)			·		-
(c) Other outward supplies (Nil rated, exempted)					-
(d) Inward supplies (liable to reverse charge)			40.00		+

2. Out of Taxable Supplies Mentioned in point (a) above, details of supplied made to Unregistered Persons, Composition Taxable Persons and UIN Holders.

	Place of Supply (State/UT)	Total Taxable Value	Amount of Integrated Tax
Supplies made to Unregistered Persons			9 444 144
Supplies made to Composition Taxable Persons			
Supplies made to UIN holders			

3. Eligible ITC-

Details	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess
(A) ITC Available (whether in full or part)				
(1) Import of Goods		 		-
(2) Import of services				-
(3) Inward supplies liable to reverse charge (other than 1 & 2 above)		2010		
(4) Inward supplies from ISD		- 8		
(5) All other ITC		-		

4. Value of exempt, Nil rated non-gst inward supply

Nature of Supplies	Inter-State Supplies	Intra-State Supplies
rom a supplier under composition scheme, Exempt and Nil rated supply		
Non GST supply		+

Note:

- 1. Under point no Itas, details to be furnished related to taxable outward supply eg. Sale of tender form, scrap etc for which tax invoice has been issued by the units, divisions.
- 2. Under point no 1/c1, details to be furnished related to supply of exempted goods eg. Sale of Electricity, wheeling charges etc for which Bill of Supply has been issued by the units. divisions.
- 3. Under point no 1(d), details to be furnished related to Inward supplies liable to reverse charge eg. Payment made to Advocates, Goods Transport Agencies, Government & Local Authorities (other than tax, cess and levy) and purchases made from unregistered persons.
- 4. Regarding Point 2. following is the meaning of Composition Taxable person and UIN Holders:
 - Composition Scheme: It gives an option to a registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year does not exceed Rs. 75 Lakhs to pay an amount calculated at such rate prescribed instead of tax payable under normal rates. He shall mention the words "composition taxable person, not eligible to collect tax on supplies" at the top of the bill of supply issued by him.
 - <u>UIN Holders</u>: Unique Identity Number is issued to foreign diplomatic missions and embassies, which are not liable to taxes in Indian Territory.
- 5. Under point no.3, details to be furnished related to ITC which is available on goods (services directly attributable taxable outward supplies. For reference please refer point 6(b) of these guidelines. ITC related to categories 6(a), 6(c) and 6(d) shall not be included while furnishing the information mentioned under point 3.
- 6. Information to be furnished on aggregate basis for transactions related to GST only. Transactions related to old taxes (ie. Excise, VAT & Service Tax) shall not be included while furnishing above information.
- Soft copy (Excel File) of Form 3B can be downloaded from www.upptcl.org.

	Company					(Nam	e of (Compa ss of Uni	ny) t)		· <u>· · · · · · · · · · · · · · · · · · </u>					
	Logo	Tel: GS1														
				i o	1.47.4 16.69	. (Cre	dit I	To	te			1212 A	water person		
_	ument No:				- 2			Against in	voice:		· / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	23.650 (244	3.34	Ass (72)/94	ACC 11 (1986)	10, 4
_	e of Issue:		81					Date of In-	voice:	-					_	
Stat	re:	-	-		20	Code			(8.6)			- 4				
- 1	Tareda, Apola a	В	ll to	Party	Salt to Eleve		Leed of the	San Day A Price	Trans.	atasen, et ig			82-118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 - 118 -	Taran are constitution		
Nar		- Francisco			2. 7 36. 7	May and Taglowine County of	(1111) (114-111)	Name:		The second second	. SI	ip to Pa	my _			型字数
Add	ress:				Address:		<u> </u>									
	_															
GST								GSTIN:				* 4		12 - 44	<u> </u>	*
Stat	te:					Code		State:		8		2500		T	Code	
S.	Aberion (1797) c	HSN	eux.	Careeria	1 100.28	Br V. Lucia Serv		1	See See See See							<u> </u>
No.	Product Description	code	UOM	Otty	Rate	Amount	Discount	Taxable Value	Rate	Ampunt	Rate	Amount	Si Rate	Amount	To	tal
	33 3	1		<u> </u>												
	<u> </u>	+	-	<u> </u>											1	794702
-	-	1	-		<u> </u>											
	-	-		<u> </u>	-		_		534				2 8/			
		_			0	-	-				<u></u>	-				
			-	 	_					 -	<u>. </u>	 	<u> </u>			
	-			-			 -		ilis	 	 	.	<u> </u>			
	9 9							-		†	1	-				
										-	_	-				
														-	 	
				1200					- 12					15		68
	Tota	7														
		Te	xtal a	mou	nt in w	ords	11.17.12		Total	Amount	before	Tax		_		- 10
									Add:			1 (Sec. 1)			1	
									Add:	SGST		72	45		 	-
										Tax Amo				7000	-	-
20 10									Total	Amount	after T	ax:				
_	Bani k A/C:	Detai	S										given abov		and correct	
	k IFSC:	0.5	-		-						Fo	r (Name	of Comp	oany)		
3411	Terms 8	condi	tions	_												
	i ci ilia G	Condi	0113													
							ommon S	leo2					_ 1 .			
_					Ø1						μ	utnorise	ed signat	ory		

	Company					(Nam	e of (Compa	i ny)					- 10		386
	Logo	Tel:	rin:				- F									
							nai	oit N								2.44
Do	tument No:	106484	(34°, 4)						ART CANADA	STE CALCULATION						
_	te of Issue:							Against in								
Sta			-5-	-		[C1-	1	Date of In	voice:				12			
		-0.5	-			Code								18	201_0	
	off real Special	8	ill to	Party				35 4556 494 (A) 25 1 25	APAGE.	ERM GR		up to Pa	view en les	and the second of the		17 00-000
	me:						and the same	Name:		24 (2 A)	Allero, ve	ap to re	117		g Si pelit diper	
Ado	dress:		S					Address:	10-20	-					<u>-15</u>	i te
GS			_								_					
Sta		3	- 68			C. 1		GSTIN:				- -	-			
-				-	-	Code	i	State:							Code	1.000
s.	Product Description	HSN	78.78 E	17			Nation N	S. 44.40 75		IGST	Page 1	CGST			1	
No.	Frictati uescriptica	code	UOM	Qty	Rate	Amount	Olscount	Tanabie Value	Rate	Amount	Rate	Amount	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ast 13	Tot	al
				200				300 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2			A.B.C	bensonse	Rate	Amount		Si dina
											-	-	-	1 300	 	
	,	_							2.5				 			-
		ļ					A2 XI				13				†	-
			ļ		- 722		_		***							
			-	-												
				_						.						
100					3.57	2 0 8000			_							
	-	-				_										
		-			-				100	-		<u> </u>				
						27 SE			_	-			-			
	Tota	1					_				-		-	22	-	
				<u> </u>					8							
+,0		T	otal a	mour	rt in w	ords			Total	Amount	pefore	Тах			-	_
									Add:	CGST						
									Add:	SGST						
										Tax Amo						
- 6	Bank	Detai		,	(20), 357				Total	Amount	ifter 1	ах:				
Ban	k A/C:	DELA		71343 3134	1,5,1,1,1113			7		Ceritified 1			given abov		nd correct	=
	k IFSC:		-					yes			Fo	r (Name	of Comp	апу)		2
	Terms &	condi	tions													X-0
		-		_		Cc	mmon S	eal				uthorise	ed signat	ory		

		(Name		Comp ss of Un)					
Company		(***	44162	,3 OI OII	ILJ						
Logo T	el:										
G	STIN:										
		Rec	oir	it Vo		k are		t Mesting w			
					ب ب	il/=ilips					
Voucher Number:	10 10	eseri .				Deta	ils Of	Receiver			
Voucher Date:	(i) (iii)			Name:	50				8 0	3	
Place of Supply:				Address:	-						
Reverse Charge (Y/N)			10-20								
			300 300	GSTIN:							
State:	. 1965 -	Code		State: Code							
Description of	HSN	Taxable	1	IGST	240	CGST	1	SGST	T-1-1-	dvance	
Product/Service	Codes	Value	Rate		Rate	Amount	Rate	Amount	+	ovance eived	
		 	-	<u> </u>		ļ <u>.</u>	ļ.,_			***	
	- -		 	·	_						
			├ ─	 	-		-	-	-		
Total	20 100 10		 				-	 	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		Total A	dvanc	e Received	l (In w	ords)	1880				
		500050000000000000000000000000000000000			. (0.03,					
			(56)/16	3							
Certified that the particular given above as		8		Total Am	ount b	efore tax					
For (Name of Co	ompany)	*		Add: CGST							
				Add: SGS	-						
		3.		Total Tax		10 (0) (0)					
Authoricad C:-			. =	Total Amount After Tax							
Authorised Sig	natory	Commor	ı Seal	GST on R	everse	Charge					

		(Nam (Addr	e of	f Com f Unit)	pan	y)						
Company				25								
Logo	Tel:											
	GSTIN:			_								
		Re	fur	id V	olu	cher						
Voucher Number:					_			Details Of Re	reiver			
Voucher Date:		100		Name:		otalia of ite	ceivei					
Against Receipt Vo	ucher No:	59 76	80		-	Address:	-	18th 30				
	eceipt Voucher		(V 989.58)	49-95								
Reverse Charge (Y/	N):		-			1						
		40(1)				GSTIN:						
State:	***	Code				State:	-		Code			
Description o	f HSN	Taxable	1	IGST	Т	CGST		COOT				
Product/Service	e Codes	1	Rate			Amount	Rate	SGST	Total Amount Refunded			
							110.00	Amount	Kerungea			
						18						
							0.00					
Tota	.1								2.10			
100			<u> </u>	<u></u>				70				
		Tota	Amou	unt Refund	led (In	words)						
Certified that the particular given abov						Total Am	ount h	efore tax				
For (Name of	Company)					Add: CGS						
					Add: SGS	т						
						Total Tax	Amou	int (GST)				
						Total Amount After Tax						
Authorised S	Signatory		Commo	on Seal		GST on R						

(NAME OF COMPANY) Company (ADDRESS OF UNIT) Logo Tel: GSTIN: Self Invoice (Purchase Voucher) Voucher No: Transport Mode: Voucher date: Vehicle number: Reverse Charge (Y/N): Date of Supply: State: Code Place of Supply Bill to Party Ship to Party ... Name: Name: Address: Address: GSTIN: GSTIN: State: Code State: HSM CGST SGST S. No IG5T Total **Total** Total amount in words Certified that the particulars given above are true and correct Total Amount before Tax For (Name of Company) Add: CGST Add: SGST Total Tax Amount Total Amount after Tax:

GST on Reverse Charge

Authorised signatory

Company		(NAME OF COMPANY) (ADDRESS OF UNIT)									
Logo		Tel: GSTIN:									
		Payn	1er	nt Ve	uc	her		(1) (2) (3) (3)			
Voucher Number:				Details Of Supplier							
Voucher Date:				Name:							
Place of Supply:				Address:							
				GSTIN:							
State:	Code		State:				Code				
Description of Product/Service	HSN Codes	Taxable Value		IGST	CGST		SGST		Total Amount		
			Rate	Amount	Rate	Amount	Rate	Amount	Paid		
	-			_	├	-	-	- 25 - 25	ļ		
			+		 			_	 		
					 		 	 -		<i>i</i>	
Total								***	-		
		Total	Amou	nt paid (In	word	s)	. <u>. </u>			_	
Certified that the particular given above are ture and correct For (Name of Company)		Total Amount before tax									
				Add: CGST							
				Add: SGS	T						
				Total Tax Amount (GST)						71 7	
Authorised Signatory		Common Seal		Total Amount After Tax							

CIRCULAR No. 23 / 2017

F. No. 275/59/2012-IT (B)
Government of India/ भारत सरकार
Ministry of Finance/ **वित्त मंत्रात्य Department of Revenue/(राजस्व विभाग)**Central Board of Direct Taxes/किन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

North Block, New Delhi 19th July, 2017

Subject: Modification of Circular No. 1 of 2014 in view of substitution of Service Tax by Goods and Services Tax (GST).

The Central Board of Direct Taxes (the Board) had earlier issued Circular No. 1/2014 dated 13.01.2014 clarifying that wherever in terms of the agreement or contract between the payer and the payer, the Service Tax component comprised in the amount payable to a resident is indicated separately, tax shall be deducted at source under Chapter XVII-B of the Incometax Act, 1961 (the Act) on the amount paid or payable without including such Service Tax component.

- 2. References have been received in the Board seeking clarification as to what treatment would be required to be given to the component of Goods and Services Tax (GST) on services, which has been introduced by the Government with effect from 1th of July, 2017 and into which the erstwhile Service Tax has been subsumed.
- 3. The matter has been examined. It is noted that the Government has brought in force a new Goods and Services Tax regime with effect from 01.07.2017 replacing, amongst others, the Service Tax which was being charged prior to this date as per the provisions of Finance Act, 1994. Therefore, there is a need to harmonize the contents of Circutar No.17.2014 of the Board with the new system for taxation of services under the GST regime.
- 4. In the light of the fact that even under the new GST regime, the rationale of excluding the tax component from the purview of TDS remains valid, the Board hereby clarifies that wherever in terms of the agreement or contract between the payer and the payee, the component of GST on services' comprised in the amount payable to a resident is indicated separately, tax shall be deducted at source under Chapter XVII-B of the Act on the amount paid or payable without including such 'GST on services' component. GST for these purposes shall include Integrated Goods and Services Tax, Central Goods and Services Tax, State Goods and Services Tax and Union Territory Goods and Services Fax.

- 5. For the purposes of this Circular, any reference to 'service tax' in an existing agreement or contract which was entered prior to 01.07.2017 shall be treated as 'GST on services' with respect to the period from 01.07.2017 onward till the expiry of such agreement or contract.
- Hindi version shall follow.

(Sandeep Singh) Under Secretary to the Government of India

Tele: 23094182 Email: Sandeep singh68@nic in

Copy to:

- Chairman and all Members of CBDT.
 All Principal Chief Commissioners and Principal Directors General of Income

- Pr. DGIT (Systems) and Pr. DGIT (Admin.).
 All Joint Secretaries and Commissioners in CBDT.
 Additional Directors General (TPS-I) and (PR,PP&OL).
 Commissioner (CPC-TDS).
 Web Managers of irsofficersonline.gov.in and incometaxindia.gov.in for placing the Circular on the respective portal.
 Office of Comptroller & Auditor General of India (30 copies).
 Guard file.

जीएसटी में मिश्रित और समग्र आपूर्ति को समझना

यदि आप आज बाजार को देखते हैं तो आप कई बार दो या दो से अधिक सामान या माल और सेवाओं का संयोजन देखेंगे जिनकी साथ-साथ आपूर्ति की जाती है। यह निम्न कारणों से हो सकता है:

- बिक्री रणनीति अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए
- वस्तुओं या सेवाओं की प्रकृति या प्रकार. जिसके लिए उन्हें एक साथ बंडल या आपूर्ति की आवश्यकता है।

सेवा कर के तहत इस तंत्र को बंडल सेवा कहा जाता है – जो कि सेवाओं की सेवा के अन्य तत्वों के साथ सेवा या सेवाओं का प्रस्तुतीकरण है। संशोधित मॉडल ड्राफ्ट जीएसटी कानून के अंतर्गत दो या अधिक माल या सेवाओं के आपूर्ति या माल और सेवाओं के संयोजन के साथ बंडल किए गए आपूर्ति को विशिष्ट विशेषताओं के साथ वर्गीकृत किया जाता है:

- मिश्रित आपूर्ति
- समग्र आपूर्ति

मिश्रित आपूर्ति

माल या सेवाओं की दो या अधिक वैयक्तिक या माल और सेवाओं के किसी भी संयोजन की आपूर्ति को एक मूल्य के लिए कर योग्य व्यक्ति द्वारा मिश्रित आपूर्ति कहा जाता है।

मिश्रित आपूर्ति में वस्तुओं और/या सेवाओं का संयोजन प्राकृतिक आवश्यकताओं के कारण बंडल नहीं किया जाता है और उनकी सामान्य व्यापार में व्यक्तिगत तौर पर आपूर्ति की जा सकती है।

मिश्रित आपूर्ति का निर्धारण करना

आइए हम एक उदाहरण के साथ इसे समझें।

एक किट पर विचार करें जिसमें एक टाई. एक घड़ी. एक बटुआ और एक कलम शामिल है जो 4.500 रूपए के लिए है तथा कॉम्बो के रूप में हैं।

उदाहरण के अनुसार,

- टाई, घड़ी, वॉलेट, और कलम को एक किट के रूप में बंडल किया जाता है
- एक टाई की आपूर्ति स्वाभाविक रूप से अन्य तत्वों(घड़ी, बटुआ, कलम) की आपूर्ति को आवश्यक नहीं बनाता है और इसके विपरीत भी उतना ही सही है ।
- प्रथक मूल्य के लिए किट की आपूर्ति की जाती है।
 इसलिए, इस किट की आपूर्ति मिश्रित आपूर्ति है।

मिश्रित आपूर्ति पर कर दायित्व

मात और सेवाओं के संयोजन में मिश्रित आपूर्ति पर कर दायित्व की गणना के लिए उच्चतम दर के टैक्स को आकर्षित करने वाली वस्तुओं या सेवाओं पर लागू कर की दर पर विचार किया जाएगा।

हम फिर से किट के उदाहरण पर विचार करते हैं।

उत्पाद	टैक्स की दर *	
टाई	12%	
घड़ी	18%	
बटुआ	12%	
कलम	5%	

^{*} सांकेतिक दरें

इस मामले में घड़ी मिश्रित आपूर्ति में उच्चतम कर की दर को आकर्षित करती है अर्थात 18% इसलिए मिश्रित आपूर्ति पर 18% कर लगाया जायेगा

समग्र आपर्ति

वस्तुओं और सेवाओं की समग्र आपूर्ति एक कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्तकर्ता को की जाती है, और:

- इसमें सामान या सेवाओं की दो या अधिक आपूर्तियां शामिल हैं. या
- सामान्य व्यापार में माल और सेवाओं का संयोजन जिनकी स्वाभाविक रूप से बंडल और आपूर्ति की जाती हैं। इसका मतलब यह है कि प्राकृतिक जरूरतों के कारण सामान और सेवाएं बंडल किया जा रहा है| वस्तुओं और सेवाओं की समग्र आपूर्ति में तत्व वस्तुओं या सेवाओं के 'प्रमुख आपूर्ति' पर निर्भर तत्व हैं।

मुख्य आपूर्ति क्या है?

वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति में पूर्व-प्रभावी तत्व. जो समग्र आपूर्ति बनांते है. मुख्य आपूर्ति हैं। और अन्य निर्भर आपूर्ति. जो समग्र आपूर्ति का हिस्सा बनती है. मुख्य आपूर्ति के लिए द्वितीयक होती है।

समग्र आपूर्ति का निर्धारण

हम एक उदाहरण के साथ इसे समझते हैं।

मुंबई में एक 5-सितारा होटल 4 दिन/3 रातों का पैकेज नाश्ते के साथ प्रदान करता है। यह मुविधाओं के पैकेज के तौर पर एक समग्र आपूर्ति है और नाश्ता एक होटल के लिए सामान्य व्यापार में प्राकृतिक संयोजन है। इस मामले में होटल आवास प्रमुख आपूर्ति है और नाश्ता होटल के आवास के लिए सहायक है। 2. मुंबई में 5 सितारा होटल नाश्ता और एक दिन मुंबई दर्शन के साथ एक 4 दिन / 3 रातों का पैकेज प्रदान करता है। इस पैकेज में मुंबई दर्शन को शामिल करना होटल में आवास की स्वाभाविक आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह समग्र आपूर्ति नहीं कहलाती है। यह मिश्रित आपूर्ति है|3. बैग के साथ लैपटॉप की बिक्री- यह एक समग्र आपूर्ति है क्योंकि लैपटॉप ले जाने के लिए बैग प्राकृतिक आवश्यकता है। लेकिन अगर ग्राहक पिटठू बैग जैसे बहुउद्देशीय बैग का विकल्प चुनते हैं तो यह एक समग्र आपूर्ति नहीं है क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से बंडल नहीं है।

समग्र आपूर्ति का कर दायित्व

टैक्स देयता की गणना के उद्देश्य के लिए ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की मुख्य आपूर्ति पर लागू कर की दर समग्र आपूर्ति पर लागू होगी। आइए हम एक ही उदाहरण पर विचार करें,

मुंबई में एक 5 सितारा होटल नाश्ते के साथ 4 दिन / 3 रातों का पैकेज प्रदान करता है। मान लीजिए, होटल के आवास में 18% टैक्स और रेस्टोरेंट सेवा 12% कर आकर्षित करती है।

उदाहरण के अनुसार होटल आवास की प्रमुख आपूर्ति है और संपूर्ण आपूर्ति पर 18% कर आरोपित है|

व्यवसायों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मिश्रित आपूर्ति और समग्र आपूर्ति की अवधारणाओं के संदर्भ में माल और सेवाओं को तैयार करने के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए आपूर्ति के प्रकार और उनके पुन: आकलन को देखें |